Central Road Assistance Programme for State Roads in Inter-State of Economic Importance and likely to be taken during the Eighth Five Year Plan period; and

(c) the amount sanctioned/actually released by Government to the State Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir. The requirement projected by the State Government is for Rs. 32.91 crores.

(b) and (c) The modalities of the programme under the Centrally sponsored scheme of Roads of Inter State or Economic Importance for the 8th Plan are expected to be decided very shortly in consultation with the appraisal agencies, keeping in view the allocations earmarked for the purpose and certain norms laid down for the programme. It is, therefore, too early to specify the extent of proposals that can be accommodated under E&I programme during 8th Plan.

Closing of Patna Station of the Inland Water Transport Authority

712. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Inland Water Transport Authority has decided to close down Patna Station of the Authority; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय सड़क निधि से आबंटन

713. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991–92 और 1992–93 के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि से उपलब्ध धनराशी का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों ने कितनी-कितनी धनराशि की मांग की थी ;

(ग) क्या उस धनराशि का आबंटन करते समय संबंधित राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत के अनुपात को भी ध्यान में रखा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1991–92 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई निधियां तथा उन्हें किए गए आबंटन का विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) । प्रारम्भ में इस योजना के तहत किया जाने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है और बाद में वित्त वर्ष के अन्त में, केन्द्र द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार 1992–93 के दौरान अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है ।

(ग) और (घ) संबंधित राज्यों में, नौवहन में प्रयुक्त पेट्रोल को छोड़कर, पेट्रोल की वार्षिक खपत के आधार पर केन्द्रीय सड़क निधि में होने वाली कुल संभूतियां परिगणित की जाती हैं। इस प्रकार से प्राप्त राशि को मद्देनजर रखते हुए, केन्द्रीय सड़क निधि में से वित्त पोषक के लिए विभिन्न राज्यों में योजनाओं को मंजूरी दी जाती है। अनुमोदित योजनाओं की कुल लागत पहले जारी की गई कुल धनराशि, शेष हस्तगत प्रचालनात्मक संस्वीकृतियां तथा बजट प्रावधानों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष निधियां जारी की जाती हैं।

विवरण

केन्द्रीय सड़क निधि में से आबंटन

(लाख रु०)

	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	1991–92 में मांगी गई निधियां	1991–92 के दौरान जारी की गई निधियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.26	50.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	आसाम	48.89	25.00
4.	बिहार	20.00	20.00
5.	गोवा	55.00	—
6.	गुजरात	178.64	60.00
7.	हरियाणा	15.00	10.00
8.	हिमाचल प्रदेश	3.20	—
9.	जम्मू और कश्मीर	एन०आर०	20.00
10.	कर्नाटक	157.12	45.00
11.	केरल	288.20	40.00
12.	मध्य प्रदेश	101.10	60.00
13.	महाराष्ट्र	64.66	90.00
14.	मणीपुर	2.76	1.00
15.	मेघालय	—	20.00
16.	मिजोरम	34.50	10.00
17.	नागालैंड	4.00	—
18.	उड़ीसा	53.62	30.00
19.	पंजाब	20.00	—
20.	राजस्थान	600.00	—
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	83.86	60.00
23.	त्रिपुरा	5.92	5.00
24.	उत्तर प्रदेश	270.71	—
25.	पश्चिम बंगाल	22.69	34.00
26.	दिल्ली	एन०आर०	5.70
27.	चंडीगढ़	—	—